

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

छातर बनाम लक्ष्मीलाल (वर्ग 1)

मुकदमा नं० 111-128

नं० 05

सन 2022

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तानील
में जारी हुए

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर
विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 29-3-22 को
पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक क्लर्क माण्डल

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित,
अप्राधीगण के सम्मन बाद शामिल होकर प्राप्त
हुए जिसे शामिल-पत्रावली किये गये। वहीलपर माण्डल
से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया
गया। अप्राधीगण को कितनी मर्तबा आवाजे दिलायी
जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके विकट एकरा
कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है वकील
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय
पृष्ठक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया।
पत्रावली फलल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जारी

राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

सीन अधिकारी-डॉ पूजा सक्सेना, आर.ए.एस
मा संख्या - 05/92 प्रा-पत्र

श्री हरि 5/10 श्री गोकुल कुम्हार निवासी - दाता लुहारिया तहसील

-प्रार्थी

बनाम

श्री लक्ष्मीलाल ज. डिशन सुपार निवासी - दाता लुहारिया तहसील (मौज)

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 29-03-22

::आदेश::

मे ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत-कर निवेदन कि ग्राम...दाता लुहारिया पटवार हल्का...लुहारिया तहसील माण्डल में उसके संयुक्त खाते की आराजी नं. 1510/1384 1526 1546 कुल कित्ता 0.3 रकबा 1.2647 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी मुतदायिया के सीमा नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 06-01-22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को कनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए क की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम...दाता लुहारिया हल्का...लुहारिया तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 1510/1384 22 1546/22 कुल कित्ता 0.3 रकबा 1.2647 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक लुहारिया को 500/- - कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथार्थिती को बनाये हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

पि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार गढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा